



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37762

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5817 वर्ष 2026

दरगाही पाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बबीता शुक्ला, राम प्रकाश शुक्ला

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. प्रत्यर्थी संख्या-2/नायब तहसीलदार, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर द्वारा वाद संख्या आरएसटी/5783/2024 में दिनांक 05.10.2024 को पारित आदेश को पुनः आह्वान किए जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या-6/जन्ता देवी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रकरण में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिया जाएगा।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रस्तुत याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/नायब तहसीलदार, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर, पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र पर यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से निर्णय करें, बिना किसी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, यदि कोई विधिक बाधा न हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 19 फरवरी 2026

साक़लैन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”